39

समक्षः—न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र /18 निग. निगरानी-3870/2018/श्योपुर/भू. रा

श्री मुकेश भार्गव एडवो द्वारा आज दि. 20.6.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-7-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेशभार्गव
20.6.18 एडवोकेट
ग्वालियर

1. श्रीमती कल्लो पत्नी रामबाबू उम्र 54वर्ष
2. मुकेश पुत्र रामबाबू उम्र 31वर्ष
3. राजू पुत्र रामबाबू उम्र 29वर्ष तीनो जाति रावत तीनो पेशा कृषि निवासीगण ग्राम बलावनी तह.बीरपुर जिला श्योपुर म.प्र.——निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र.शासन———————गैरनिगरानीकर्ता

<u>निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.क्र.05/2016—17स्वे.निग.अपर कलेक्टर मे पारित आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व सहिंता</u>

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की और से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है।:—

1:— यह कि भूमि सर्वे क्रमांक 67 मिन मेसे प्रत्येक निगरानीकर्तागण के नाम रकबा 1.881 हेक्टयर भूमि ग्राम बलावनी तह.बीरपुर जिला श्योपुर म.प्र. मे स्थित भूमि के सम्बंध मे अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बीरपुर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 14/2005—06 अ-19 मे पारित आदेश दिनांक 27.04.2006 से व्यवस्थापन कर पट्टे प्रदान किये गये।

कल्लो मुकेश राजू क्रमशः——2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–3870/2018/श्योपुर/भू.रा.

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-08-18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 5/16–17 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–2–2018 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में कलेक्टर, श्योपुर के आदेश दिनांक 26–2–18 के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर, श्योपुर ने आदेश दिनांक 26–2–18 के पृष्ठ 5 पर नीचे अंकित पद इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :– " आदेश पत्रिका में नायव तहसीलदार श्री बाबूलाल जाटव के हस्ताक्षर प्रकरण में संलग्न आम सूचना एंव बीहड़ भूमि की सूची में किये गये हस्ताक्षर से भिन्न है तथा प्रथम दृष्टया ही संपूर्ण आदेश पत्रिका पर नायव तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर होना प्रतीत होता है। नायव तहसीलदार श्री बाबूलाल जाटव फोत हो चुके है । इसी प्रकार ग्राम बलावनी की नकल ठहराव प्रोसिडिंग वर्ष 2006 दिनांक 9–4–2006 पर भी नायव तहसीलदार के हस्ताक्षर संदिग्ध तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत बलावनी जो मृत हो चुका है के भी हस्ताक्षर फर्जी बनाया जाना प्रतीत होते हैं। इस दस्तावेज को पुराना दिखाने के दृष्टिकोण से कागज को मोड़ तोड़कर उस पर ठहराव लिखा गया है। मूल प्रकरण में भूमिहीन व्यक्तियों के व्दारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पृष्ठ संख्या 29 से 52 तक पुराने छपे हुये आवेदन पर एक हस्तलिपि में लिखा गया है जिसके पृष्ठ भाग पर हलका पटवारी का प्रतिवेदन अंकित है। उक्त सभी पृष्ठ पुराने एंव मूल दस्तावेज हैं। इसी प्रकरण में पृष्ट कमांक 53 से लेकर 113 तक के आवेदन कम्प्यूटर प्रिंटेड हैं जिन पर अंकित हस्तलिपि भिन्न एंव हलका पटवारी के हस्ताक्षर भी संदिग्ध हैं। पटवारी व्दारा अपने कथन में इन पृष्ठों को फर्जी तथा वाद में जोड़े जाने का अभिवचन किया है। ---प्रकरण में 25 पट्टों की प्रति ही संलग्न है जो वाद में जोड़े जाना प्रतीत होता है तथा उन पर किये गये हस्ताक्षर भी आदेश पत्रिका के फर्जी हस्ताक्षर से मेल खाते हैं। "	

कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा आदेश दिनांक 26–2–2018 में विवेचना करते हुये पटटो में से 01 लगायत 11 पक्षकारों के पटटे यथावत् रखते हुये 12 लगायत 42 तक के पक्षकारों के पटटे निरस्त किये हैं। निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा आदेश दिनांक 26–2–2018 से लिये गये निर्णय एंव निष्कर्षो से भूमि बन्टन में स्पष्ट रूप से फर्जकारी करना प्रमाणित है किन्तु तहसील बीरपुर के प्रकरण कमांक 14/2005–06 अ–19 में पारित भूमि बन्टन आदेश दिनांक 2–3–2006 तथा पुर्नवटन आदेश दिनांक 26–4–2006 के अवलोकन पर यह भी विचार किया जाना है कि क्या वर्ष 2006 में नायव तहसीलदार को भूमि बन्टन करने की शक्तियॉ प्राप्त रही हैं :–

'' तत्समय भूमि बन्टन हेतु प्रचलित किये गये विशेष अभियान पर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई रिट पिटीशन कमांक 2496/2002 में पारित आदेश दिनांक 5–8–2002 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन प्रतिबन्धित कर दिया गया था। तदुपरांत मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल ने ज्ञापन कमांक एफ–30–18/2002/सात–2–ए दिनांक 21–1–2003 जारी करके भूमि बन्टन/व्यवस्थापन पर रोक लगा दी गई थी। इसके वाद तहसीलदार /नायव तहसीलदार से भूमि बन्टन की शक्तियॉ वापिस ली जाकर यह शक्तियॉ कलेक्टर में वेष्ठित की गई हैं। ''

स्पष्ट है कि वर्ष 2006 में नायव तहसीलदार को भूमि बन्टन के अधिकार नहीं थे इस पर भी कलेक्टर श्योपुर को गौर करना चाहिये।

3/ उपरोक्त विवेचना से पाया गया कि कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 5/16–17 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–2–2018 बोलता हुआ (**Speaking order**) है जिसमें हस्तक्षेप की गुॅजायश न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य